प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ दिनाँक:- 04.08.2022

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय **श्री अशोक कुमार मीणा** व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री अजय प्रताप सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी महोदय नगर **श्री प्रदीप सिंह** जनपद फतेहगढ के कुशल पर्यवेक्षण में गुणदोष के आधार पर विवेचना निस्तारण के चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह यादव निवासी डाक्टर कालोनी मेजर एसडी सिंह मेडिकल कालेज बघार थाना मऊदवराजा जनपद फर्रूखाबाद के प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्तर्गत धारा 115/120B IPC बनाम 1.अभिषेक प्रताप सिंह उर्फ ए0पी0 पुत्र अतिबल सिंह उर्फ बिल्लू यादव निवासी ग्राम दुनाया थाना नवाबगंज जनपद फर्रूखाबाद 2.आदिल पुत्र भीकम खान निवासी अमर सिंह का नगला, नौगवां जिला एटा हाल निवासी ग्राम ढिलावल थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद तथा सचिन यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह यादव निवासी भूडनगरिया थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद पर संदेह जाहिर करते हुये पंजीकृत कराये गये अभियोग जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री जगदीश वर्मा के द्वारा की गयी। विवेचना के क्रम में गहनता पूर्वक साक्ष्य संकलन करते हुये पाया गया कि नामित अभियुक्तगण का आपस में मोबाइल नम्बरो से वार्ता होना नही पाया गया। तथा आरोपी अभिषेक प्रताप उर्फ ए0पी0 उपरोक्त की सचिन यादव के मोबाइल नम्बर पर व आदिल खान के मोबाइल नम्बर पर किसी प्रकार की बातचीत होने के प्रमाण नही मिले। ओडियो रिकार्डिंग के सुनने से नामित व्यक्ति आदिल , ए0पी0 की आवाज प्रमाणित नही हो रही है ना ही इस सम्बन्ध में एडवोकेट चन्द्रजीत सिंह के मोबाइल पर ओडियो रिकार्डिंग भेजने वाले भुल्लन से उसके बयान के मुताबिक कोई प्रमाण प्राप्त नही हुये भुल्लन से उसका मोबाइल उपलब्ध कराने हेतु कहा गया तो उपलब्ध नही कराया और बताया कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है। अब तक की तमामी विवेचना से उक्त घटना के सम्बन्ध में मात्र भुल्लन द्वारा अधिक शराब के नशे में बहककर बातचीत करना व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ओडियो रिकार्डिंग कर लेना पाया गया जिसमें भय व संदेह के आधार पर डा0 जितेन्द्र सिंह द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अब तक की विवेचना से अपराध प्रमाणित नही हो रहा है आरोप असत्य पाये जाने पर अभियोग की विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट निरस्त की गयी। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि नामित आदिल खान पूर्व में A.T.S सिक्योरिटी के माध्यम से डा0 जितेन्द्र यादव का P.S.O रहा। जिसकी भुल्लन यादव व ए0पी0 से मोबाइल से बातचीत होना नही पाया गया है।

विवेचनाधिकारी –

1- व0उ0नि0 श्री जगदीश वर्मा
2- हे0का0 139 महेन्द्र सिंह